दि. 27/6/2000

सेवामें,

सचिव,
राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग,
नई दिल्ली ।

विषय : सुझाव

सन्दर्भ : आपकी विज्ञप्ति कि दि. 17/6/2000

मान्यवर,

स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना चुके भारत में आम जनता का जीवन न्यूनाधिक मात्रा में त्रासदियों से भरा हुआ है । निस्संदेह कमी केवल संविधान या कानून के प्रावधानों में नहीं है बल्कि हमारा व्यवहार भी इसके लिए उत्तरदायी है, तथापि कुछ कदम ऐसे हैं जिनके अपनाने से एक बेहतर, उत्तरदायी तथा कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है । कृपया इन सुझावों पर विचार करने का श्रम करें –

(1) भारत में न्यूनतम मजदूरी की दर प्रत्येक राज्य में भिन्न रहती है । सबसे दुःखद बात यह है कि वर्तमान में राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दर मात्र 50 से 70 रुपये प्रतिदिन है जबकि सरकारी सेवाओं का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही प्रतिदिन औसतन 100 से 150 रुपये पाता है । क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक को एक चपरासी से भी कम मजदूरी मिलनी चाहिए ? यदि सरकार ही आर्थिक समानता को नहीं स्वीकारती है तो सेठ, साहूकार, जमींदार, उद्योगपतियों तथा ठेकेदारों से क्या अपेक्षा की जाए ? अतः एक राष्ट्रीय कानून इस सम्बन्ध में बना दिया जाए ।

(2) देश में "समान कार्य के समान वेतन" का नियम प्रवर्तित नहीं है। केन्द्र सरकार के वेतनमान तथा राज्यों के कर्मचारियों के वेतनमानों हेतु एक समान राष्ट्रीय कानून बना देना चाहिए ताकि असमानता न रहे ।

(3) सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास की समान रुचि होनी चाहिए । राजस्थान में चिकित्सक प्रशिक्षणार्थियों का स्टाईपन्ड 1950 से 1999 तक आते-आते लगभग 100 गुणा बढ़ा चुका है (50 रु. से 5000 रु. प्रतिमाह जबकि नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों का स्टाईपन्ड 1950 से 1999 तक की अवधि में मात्र 3 या 4 गुणा (50 रु. से 200 रु. प्रतिमाह) ही बढ़ा है । इतना अधिक भेदभाव क्यों ? इस सम्बन्ध में भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए ।

(4) विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दिया जाने वाला आर्थिक दण्ड समय बीतने के साथ अति न्यून हो जाता है। उदाहरण के लिए शराबी पर 50 रु. का दण्ड करना कोई दण्ड नहीं है। अतः सुझाव यह है कि आर्थिक दण्ड की राशि प्रतिमाह 6 माह में एक निश्चित दर (5 या 10 प्रतिशत) स्वतः ही बढ़ी हुई मानी जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान कानून में स्थायी रूप से वर्णित कर देना चाहिए।

(5) प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सरल सा तरीका यह है कि अनियमितता या भ्रष्टाचार करने वाले, करवाने वाले तथा इसकी जानकारी रखने वाले तीनों को दण्डित किया जाए।

(6) अमेरिका की भाँति भारत में भी राष्ट्रघात या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान कर देना चाहिए। क्रिकेट में सट्टेबाजी, प्रशासन में घोटाले, राष्ट्रीय सुरक्षा की गुप्त सूचनाएँ देना, राष्ट्र के संसाधनों का दुरूपयोग करना, व नशीली दवा व्यापार करना इत्यादि इस श्रेणी के अपराध माने जाएं।

(7) प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कर्मचारी तथा प्रत्येक राजनेता की जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। राष्ट्रीय उत्तरदायित्व कानून के द्वारा 2 बच्चों से अधिक पर रोक लगाई जाए।

(8) संसदीय लोकतंत्र प्रणाली उचित है। इसमें केवल समयानुकूल सुधार किए जाएं ? उदाहरण के लिए सांसदों/विधायकों की शैक्षिक योग्यता तथा आयुसीमा निर्धारित कर दी जाए।

(9) सभी को प्राथमिक शिक्षा, निश्चित समय में न्यायप्राप्ति, तथा प्रशासन से सूचना-प्राप्ति का मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। सर्वाधिक सुधार न्यायपालिका में किए जाएं। स्वीडन की भाँति लोकपाल के कार्यक्षेत्र में न्यायाधीशों के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाए। विशेषाधिकार, गुलामी के अवशेष हैं। इन्हें समाप्त किया जाए। प्रेस को न्यायपालिका की आलोचना का पूर्ण अधिकार दिया जाए अन्यथा लोकतंत्र का मूल ध्येय ही दबा रहता है।

सधन्यवाद

भवदीय

(डॉ. सुरेन्द्र कटारिया)
व्याख्याता-लोक प्रशासन
पोस्ट बॉक्स नं. 20 सीकर-332001

संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग

ONAL COMMISSION TO REVIEW THE WORKING OF THE CONSTITUTION

विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आज़ाद रोड,

नई दिल्ली-110011

VIGYAN BHAWAN ANNEXE, MAULANA AZAD ROAD,

NEW DELHI-110011

Tele: 302 2079

302 2080

No. Res.1/16/2000-NCRWC

06 July 2000

To

Dr. Surendra Kataria

Professor - Public Admin.

P. Box No. 26

SIKAR - 332 001 (Rajasthan)

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter dated 27.6.2000 and to say that the suggestions contained in your letter would be considered by the Commission at the appropriate time.

Yours faithfully,

N K Sharma

(N.K. SHARMA)

For Secretary